राष्ट्रपति सचिवालय

(राष्ट्रपति निकेतन)

नीलामी सूचना

फाइल सं.: RB-11003(GoU)/2024-RAC-Part (3) दिनांक : 06 मार्च, 2026

अनुक्रमणिका

विषय: राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून, उत्तराखंड स्थित बाग (ऑर्चर्ड) की नीलामी।

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निविदा सह नीलामी सूचना	2
2.	मात्राओं की अनुसूची (फलदार वृक्षों का विवरण)	3
3.	नियम एवं शर्तें	4-6
4.	नीलामी प्रपत्र	7

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज़ में पृष्ठ संख्या 1 से 7 तक सम्मिलित हैं।

(प्रबंधक)
राष्ट्रपति निकेतन

राष्ट्रपति सचिवालय

(राष्ट्रपति निकेतन)

फाइल सं.: RB-11003(GoU)/2024-RAC-Part (3) दिनांक : 06 मार्च, 2026

निविदा सह नीलामी सूचना

प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून द्वारा परिशिष्ट 'A' में उल्लिखित विवरणानुसार राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून स्थित बागानों में उत्पन्न फल फसल की नीलामी **वर्ष** 2026 हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्तियों एवं ठेकेदारों से निविदाएँ आमंत्रित हैं।

2. विस्तृत नियम एवं शर्तों सहित निविदा प्रपत्र प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं नियम/शर्तें राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट (https://www.rashtrapatibhavan.gov.in/tender-notices) पर भी उपलब्ध हैं।

3. निविदा प्रपत्रों का निर्गमन/वेबसाइट से डाउनलोड दिनांक 9 मार्च 2026 को प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ होकर 23 मार्च 2026 को सायं 05:00 बजे तक किया जा सकेगा। पूर्णतः भरे हुए निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून में जमा किए जाने अनिवार्य हैं।

- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 23 मार्च 2026 को सायं 05:00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि : 24 मार्च 2026 को प्रातः 11:00 बजे से।

4. उच्चतम बोलीदाता को अनुबंध प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त मानते हुए विचार किया जाएगा। सफल बोलीदाता राष्ट्रपति निकेतन स्थित बागान के रख-रखाव, संरक्षण एवं देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा।

5. प्रत्येक बोलीदाता को हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें पते के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति (मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य फोटो पहचान पत्र), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियाँ शामिल हों।

6. निविदा खोलने के समय बोलीदाता का स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि वह उपस्थित न हो सके तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि को लिखित प्राधिकरण पत्र के माध्यम से भेज सकता है। सफल बोलीदाता को स्वीकृति-पत्र (Letter of Award) जारी होने की तिथि से चार (04) दिनों के भीतर नीलामी राशि का 50% तथा शेष 50% राशि दस (10) दिनों के भीतर जमा करनी होगी। निविदा प्रपत्र के साथ ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की बयाना राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो "वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित हो, निर्धारित प्रारूप के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

7. राष्ट्रपति सचिवालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

परिशिष्ट-A

राष्ट्रपति सचिवालय

(राष्ट्रपति निकेतन)

मात्राओं की अनुसूची

राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून, उत्तराखंड स्थित बाग में फलदार पौधों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	फल फसल का नाम	कुल वृक्षों की संख्या
(क)	आम	322
(ख)	लीची	271
	कुल	593

प्रबंधक

राष्ट्रपति निकेतन

<u>नियम एवं शर्तें</u>

1. निविदा प्रपत्र के साथ ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की बयाना राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो "वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित हो, निर्धारित प्रारूप के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता को छोड़कर अन्य सभी बोलीदाताओं की बयाना राशि स्वीकृति-पत्र (Letter of Award) जारी होने के पश्चात लौटा दी जाएगी।

2. इच्छुक बोलीदाता 10 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक (प्रातः 09:30 बजे से सायं 04:00 बजे तक) किसी भी कार्य दिवस में, प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून (दूरभाष: 0135-2977924) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की पूर्व अनुमति से नीलामी हेतु प्रस्तावित बागान का निरीक्षण कर सकते हैं।

3. किसी भी प्रकार का नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. निविदा प्रपत्र पर निविदाकार/बोलीदाता के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। बिना हस्ताक्षर के निविदा प्रपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

5. मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।

6. निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से "राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून, उत्तराखण्ड स्थित फल बागान की नीलामी" अंकित करते हुए प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून को संबोधित की जाएँ।

7. डाक विलंब के लिए राष्ट्रपति निकेतन उत्तरदायी नहीं होगा।

8. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. निविदा खोलते समय बोलीदाता का स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि वह उपस्थित न हो सके तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि को विधिवत् लिखित प्राधिकरण-पत्र देकर अपने स्थान पर उपस्थित होने हेतु नामित कर सकता है। सफल बोलीदाता को स्वीकृति-पत्र (Letter of Award) जारी होने की तिथि से चार (04) दिनों के भीतर नीलामी राशि का 50% जमा करना होगा। शेष 50% नीलामी राशि स्वीकृति-पत्र की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के साथ ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की बयाना राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो **"वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली"** के पक्ष में आहरित हो, निर्धारित प्रारूप के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है।

10. निर्धारित अवधि में नीलामी राशि जमा न करने की स्थिति में, द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को अनुबंध प्रदान किया जा सकता है तथा उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

11. सभी लागू करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

12. केवल नीलाम की गई उपज को ही हटाने की अनुमति होगी। अनधिकृत रूप से किसी अन्य सामग्री/उपज को हटाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

13. ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित मात्रा में खाद/उर्वरक वृक्ष के तने से 45–90 सेमी दूरी पर डाली जाएगी तथा पौध संरक्षण हेतु कीटनाशक/रसायनों का छिड़काव प्रभारी अधिकारी (CPWD–Horticulture) के परामर्श के अनुसार किया जाएगा।

14. राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून स्थित बागान में वृक्षों/पौधों की सिंचाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस प्रयोजन हेतु जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जल उपलब्ध न होने की स्थिति में इसकी व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा।

15. प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को किसी भी समय बागान क्षेत्र का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

16. उपज की सुरक्षा (वॉच एवं वार्ड) की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। लापरवाही की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है।

17. बागान परिसर में भोजन पकाने हेतु लकड़ी/ईंधन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में प्रबंधक द्वारा निर्धारित दंड लगाया जाएगा।

18. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों की लापरवाही से आग लगने की स्थिति में, प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन द्वारा

निर्धारित क्षति-पूर्ति राशि ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

19. ठेकेदार को बागान परिसर में अपने परिवार को रखने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा उद्देश्य से श्रमिक अस्थायी झोपड़ी/आश्रय में रह सकते हैं।

20. राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून की किसी भी संपत्ति को हटाने, क्षति पहुँचाने या नुकसान करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी।

21. अनुबंध की अवधि पूर्ण होने पर, ठेकेदार को अनुबंध प्रदान किए जाने के समय जितने फलदार वृक्ष प्राप्त हुए थे, उतनी ही संख्या यथावत् सौंपनी होगी।

22. बागान परिसर के भीतर उपज की बिक्री प्रतिबंधित है।

23. बागान में प्रवेश अथवा सुरक्षा कार्य हेतु अधिकृत सभी व्यक्तियों का पूर्ण विवरण (नाम, पता, वैध पहचान पत्र एवं पुलिस सत्यापन सहित) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे कर्मियों के वेतन, मजदूरी अथवा भत्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यय राष्ट्रपति निकेतन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

24. किसी भी नियम एवं शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा तथा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

25. ठेकेदार को सभी फलदार वृक्षों का रख-रखाव अपने व्यय पर करना होगा, जिसमें खाद देना, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, छंटाई, कीट नियंत्रण, सुरक्षा, तुड़ाई एवं परिवहन आदि कार्य सम्मिलित हैं।

26. ठेकेदार बागान को उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाए रखेगा तथा राष्ट्रपति निकेतन प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

27. ठेकेदार को समय-समय पर प्रभावी श्रम कानूनों एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों का पूर्ण पालन करना होगा। उल्लंघन की स्थिति में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही, जिसमें ब्लैकलिस्ट करना भी सम्मिलित है, की जा सकती है।

28. सफल बोलीदाता को स्वीकृति के तीन (03) दिनों के भीतर ₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

29. प्रत्येक सीजन में निम्नलिखित उपज राष्ट्रपति सचिवालय हेतु आरक्षित रहेगी, जिसे प्रबंधक, राष्ट्रपति निकेतन को सौंपा जाएगा, ताकि उसे राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली प्रेषित किया जा सके:

(क) आम – 100 किलोग्राम

(ख) लीची – 100 किलोग्राम

30. सफल बोलीदाता प्रत्येक सीजन की समाप्ति के पश्चात उपलब्ध उपज की मात्रा संबंधी लिखित सूचना प्रबंधक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

31. यह अनुबंध प्रदान किए जाने की तिथि से 12 (बारह) माह की अवधि के लिए वैध रहेगा। सक्षम प्राधिकारी के निर्णय एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निर्धारित दरों एवं शर्तों पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

32. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

राष्ट्रपति सचिवालय

(राष्ट्रपति निकेतन)

नीलामी प्रपत्र

फाइल सं.: ______________ दिनांक: 06 मार्च, 2026

राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून, उत्तराखंड स्थित बाग से आम एवं लीची फलों की नीलामी हेतु निविदाएँ।

क्र. सं.	विवरण	विवरण (निविदाकार द्वारा भरा जाए)
1.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	24 मार्च 2026 को प्रातः 11:00 बजे। राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून
2.	फर्म/निविदाकार का नाम	
3.	पत्राचार हेतु पूर्ण पता	
4.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पैन	
5.	आधार कार्ड संख्या	
6.	संपर्क संख्या	
7.	ई-मेल आईडी	
8.	ईएमडी का विवरण	
9.	अनुभव प्रमाणपत्र, यदि कोई हो	
10.	प्रस्तावित दर (अनुबंध अवधि : 01 वर्ष) – आम एवं लीची हेतु	अंकों में : ₹ ______________ शब्दों में: रुपये ________________________ मात्र

“मैंने उपर्युक्त सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा अनुबंध प्रदान किए जाने की स्थिति में उनका पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत हूँ।”

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

दिनांक : __________